

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटडी जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी:- श्री भागीरथ साख आर. ए. एस

प्रकरण संख्या:- 10/2017

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट 1956

कन्हैयालाल पिता मोहनलाल ब्राह्मण जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी बीरघोल तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

....प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति नानी देवी पत्नि जगदीश ब्राह्मण निवासी बीरघोल तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2. श्री बालचन्द पिता केला खटीक निवासी बीरघोल तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
3. श्री बद्री पिता हीरा जाट निवासी शिवनगर (पपलाज) तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
4. श्री प्रताप पिता भोला रेगर निवासी कोटडी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
5. श्री रामेश्वरलाल पिता मांगीलाल ब्राह्मण निवासी कोटडी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी जिला भीलवाडा

...विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

--:आदेश:-

दिनांक: -11/02/2017

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 09.01.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बीरघोल पटवार हल्का बीरघोल तहसील कोटडी की जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 16 की आराजी संख्या 965/5 रकबा 05 बीघा स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खातों/संयुक्त खातों की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करायें जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को सम्मन जारी कियें गयें। सम्मन बाद तागील पत्रावली पर लियें गयें । विपक्षीगण बावजूद सुचना के अनुपस्थित एवं किसी प्रकार का प्रतिरोध दर्ज नही करायें जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कियें जाने के आदेश प्रदत्त कियें जातें हैं एवं संबंधित भू. अ. निरीक्षक बीरघोल को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सूचित करने के उपरांत पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटडी के तलब की जावें ।

--:आदेश:-

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटडी के वाके ग्राम बीरघोल पटवार हल्का बीरघोल तहसील कोटडी की जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 16 की आराजी संख्या 965/5 रकबा 05 बीघा पर पत्थरगढ़ी उभयपक्षों को सूचित किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के पत्थरगढ़ी की जावें । प्रार्थी इस कार्य के लियें कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटडी के निर्देशानुसार राशि 500/-रूपयें वक्त पत्थरगढ़ी कमिश्नर भू.अ. निरीक्षक को जमा करायेगा । खर्चा राशि जमा होने पर भू.अ. निरीक्षक द्वारा पत्थरगढ़ी की जाकर पालना करें ।

  
सहायक क्लर्क एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
कोटडी जिला-भीलवाडा

प्रतिलिपि :-तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढ़ी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

  
सहायक क्लर्क एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
कोटडी जिला-भीलवाडा